

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TEA CHEMIST
(GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL
PRADESH.

1. Name of the Post : Tea Chemist
2. Number of Posts : 4 (Four)
3. Classification : Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of Pay : Rs.2000-60-2060-70-2550-75-3000-
100-3500.
5. Whether Selection Post or Non-Selection Post : Non-Selection
6. Age for direct recruitment : Between 18 years and 35 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note : (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission, in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits

ESSENTIAL QUALIFICATION:-

M.Sc. (Chemistry)

DESIRABLE QUALIFICATIONS:-

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees

Age : N.A.

Educational Qualification : N.A.

9. Period of probation, if any

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods

65% by promotion and 35% by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made

By promotion from amongst Junior Tea Chemists having five years regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade.

For the purpose of promotion/direct recruitment the following 20 point roster shall be as under :-

6/4

107.

1. First post by promotion
2. Second post by promotion
3. Third post by direct recruitment.
4. Fourth post by promotion
5. Fifth post by promotion
6. Sixth post by direct recruitment.
7. Seventh post by promotion
8. Eighth post by promotion
9. Ninth post by direct recruitment.
10. Tenth post by promotion
11. Eleventh post by promotion
12. Twelveth post by direct recruitment
13. Thirteenth post by promotion
14. Fourteenth post by promotion
15. Fifteenth post by direct recruitment.
16. Sixteenth post by promotion
17. Seventeenth post by promotion
18. Eighteenth post by direct recruitment.
19. Nineteenth post by promotion
20. Twentieth post by promotion

Thereafter the roster will repeat.

Note : (1) In all cases of promotion, the adhoc service rendered in the feeder post upto 31-03-1991, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition (i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis upto 31-03-1991) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation :- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel.

(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post upto 31-03-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31-03-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition : As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment : As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment : A candidate for appointment to any service or post must be:-
- (a) a citizen of India, or
 - (b) a subject of Nepal, or
 - (c) a subject of Bhutan, or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories {(b), (c), (d) and (e)} shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

45 100

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment

: Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

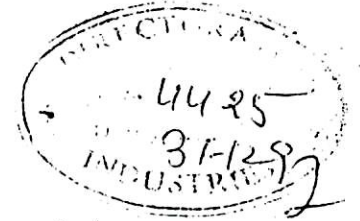
16. Reservation

: The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Powers to Relax

: Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Mr. Ind.

38
-101-हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

संख्या: उद्योग-111/2-14/95 तारीख, गिमला-171002,

16/12/1997

अधिसूचना

=====

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, उद्योग विभाग में चाय रसायनिक, वर्ग-111 अराजपत्रित पद के लिए इस अधिसूचना से सलग्न उपावन्ध "अ" के अनुसार अर्हता एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: 1.11

इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग चाय रसायनिक, वर्ग-111 अराजपत्रित अर्हता एवं प्रोन्नति नियम 1997 है।

1.11

ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति: 2.11

इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 5-23/70-एसओआर 10 एस्ट, तारीख: 5.7.1976 द्वारा अधिसूचित की हिमाचल प्रदेश इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट नॉन मिनिस्ट्रीयल एण्ड टेक्निकल रेगुलैटरी एण्ड प्रमोशन प्लास-111, रुज, 1976 का एतद द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये चाय रसायनिक के पद को लागू हों।

1.11 परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 1.1 के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेशों द्वारा

पी.एस. राणा

सचिव उद्योग

हिमाचल प्रदेश सरकार

...2...

A.O.C.

29/12

29/12

सी.पी. लोहा

30/12/97

उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश में चाय रसायनिक, वर्ग-111 अराजपत्रित के पद के लिए सीधी एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम : चाय रसायनिक
2. पदों की संख्या : 4 चार
3. वर्गोक्ति : वर्ग-111 अराजपत्रित
4. वेतनमान : 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500
5. चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन पद
6. सीधी सीती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु : 18 से 35 वर्ष।

परन्तु सीधी सीती के लिए उमरी आयु सीमा तदर्थ या सविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतरी हो छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी निकायों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के साथ ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी सीती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं जा सकेगी जो पश्चात्तत् में ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और

:उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए

...३...

टिप्पणा: §1§ सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पदों को यथास्थिति आवेदन अग्रमित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

टिप्पणा: §2§ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं:

: §क§ अनिवार्य अर्हताएं:

===== रसायन विज्ञान में एमएससी निष्णात।

§ख§ वांछनीय अर्हताएं:

===== हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विमान विविष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं:

: आयु _____ लागू नहीं

शैक्षणिक अर्हताएं _____ लागू नहीं

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:

: दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सभ्य प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति—

भर्ती, सीधी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरा जाने वाली रिक्तियों की

65 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

35 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

...३...

...

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के दशा में श्रेणियों जिन्हें प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा:

कनिष्ठ वाय, रसायनों में से प्रोन्नति द्वारा जिसका ग्रेड में 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक के गई जगातार तदर्थ सेवा सहित संयुक्त नियमित सेवाकाल हो। प्रोन्नति/सेधो भर्ती के लिए 20 बिन्दु रोल्टर निम्न प्रकार से होगा:-

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. प्रथम पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 2. द्वितीय पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 3. तिसरा पद | सेधो भर्ती द्वारा |
| 4. चौथा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 5. पांचवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 6. छटा पद | सेधो भर्ती द्वारा |
| 7. सातवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 8. आठवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 9. नवा पद | सेधो भर्ती द्वारा |
| 10. दसवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 11. एघारवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 12. बारहवा पद | सेधो भर्ती द्वारा |
| 13. तेरहवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 14. चौदहवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 15. पन्द्रहवा पद | सेधो भर्ती द्वारा |
| 16. सोलहवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 17. सतरहवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 18. अठारवा पद | सेधो भर्ती द्वारा |
| 19. उनसे नवा पद | प्रोन्नति द्वारा |
| 20. बीसवा पद | प्रोन्नति द्वारा |

तत्पश्चात रोल्टर दोहराया जाएगा।

टिप्पणा 11

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी पद 31.3.91 तक के गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इस नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी ---

...

..14 1..

उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरणा पद में अपने कुल सेवाकाल 31.3.91 तक की तदर्थ सेवा की शामिल करके के आधार पर उपर्युक्त उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रहे जाएंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तेरह वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के पाले एवं पदोन्नति दिवसों में विहित सेवा जो भी कम होंगी:

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक को अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने के सम्बन्धों विचार के अपात्र हो जाता है, जहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति को भी ऐसे प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण:-

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारों प्रोन्नति के लिए अपात्र रहें समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति से पूर्व सैनिक है, जिसे डिपो विभाजन आर्म्ड फोर्सिज परसोनल रिजर्वेशन आफ वैकेन्सेज इन हिमाचल स्टेट नार टैक्ने कल सर्विसिज 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे रक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन आफ वैकेन्सेज इन दो हिमाचल प्रदेश टैक्ने कल कलज 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों,

टिप्पणा 28 इस प्रकार स्थायी करणा के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की हुई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ले जाएंगे।

परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा के गणना में लेने के पश्चात जो स्थायी करणा होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अवर्तित रहेंगे।

12. यदि विभागों में प्रोन्नति सम्पत्ति विद्यमान हो, तो उसके संरचना:

: विद्यमान जैसे कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

...5...

13. शर्तों करने में, जिन परिस्थितियों : जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा
आयोग से परामर्श किया
जाएगा :

14. सीधे शर्तों किए जाने वाले : किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के
व्यक्तियों के लिए अपेक्षा लिए अर्थों का निम्नलिखित होना
आवश्यक है :-

क॥ भारत का नागरिक,
या

ख॥ नेपाल को प्रजा, या

ग॥ भूटान को प्रजा, या

घ॥ तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी,
1962 से पूर्व, भारत में स्थाई निवास
के आशय से आया हो, या

ड॥ भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने
पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्व अफ़्गानिस्तान
के देशों या किनेया, युगाण्डा, युनाई-
टेड रिपब्लिक आफ़ तंज़ानिया फ़हले
तंज़ानिया और जंजीबार, ज़ाम्बिया,
पावंलाखेजर के और

इथोपिया से भारत में स्थायी निवास
के आशय से प्रवास किया है ।

परन्तु प्रवर्ग ख॥ ग॥ घ॥ और ड॥ के
अर्थों ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष
में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण
पत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अर्थों को, जिनके मामले में
पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है,
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा
अन्य शर्तों प्राधिकरण द्वारा संचालित
परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्टि किया
जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का
प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे
पात्रता अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए
जाने के पश्चात ही दिया जाएगा ।

...6...

15. सेधी बतों द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

: सेधी बतों के मासले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति हिमाचल प्रदेशा लोक सेवा आयोग या अन्य बतों प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/ अन्य बतों प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण

: उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेशा सरकार, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होंगे।

17. निर्धारित करने की शक्ति

: जहां राज्य सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेशा लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों की किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग पदों को बाबत निर्धारित कर सकेगी।
